

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10-332/2001/वाक/पांच (74)

रायपुर दिनांक 6.12.2001

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1682/एफ-10-332/2001/वाक/पांच (38) में शब्द "अन्य प्रकार के दूरसंचार केबल्स" के पश्चात शब्द " तथा एच.डी.पी.ई/पी.व्ही.सी टेलीकाम डक्ट्स" को जोड़ा जाये।

यह अधिसूचना 10.08.2001 से प्रभावशील मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
उपसचिव

Government Of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax , Planning
Economics and Statistics and Twenty
Point Programme Implimentation
Department

Mantralaya

NOTIFICATION

No. F/10-332
^/2001/CT/V/(74-)

Raipur, Dated 6.12.2001

In this department notification No. 1682/F-10/332/2001/CT/V(38) dated 10-08-2001 after the words "Cables of other types" the words " and HDPE/PVC ducts" shall be added .

This notification shall be deemed to be effective with effect from 10-08-2001.

By Order and in the
name of Governor of Chhattisgarh ,



(K.R. Mishra)
Deputy Secretary